

जारी किया
29/01/18

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2018

विषय: "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2017" के अन्तर्गत नीति कार्यान्वयन इकाई के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" में व्यवस्था है कि सूचना प्रौद्योगिकी/सू०प्रौ० जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों, स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता केन्द्रों को प्रोत्साहन देने तथा प्रदेश में मेजबान संस्थानों को उत्साहित करने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपनी कार्यदायी संस्था नामित की जायेगी जोकि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था होगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा प्रकरण पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के कार्यान्वयन हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

4- विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या: 1157/78-1- 2012-127/2012 दिनांक 18 दिसम्बर 2012 तथा शासनादेश संख्या 467/78-1-2016- 127/2012 दिनांक 07 अप्रैल 2016 को प्रस्तुत शासनादेश के आलोक में पढ़ा जाये।

29-01-18

संजीव सरन,
(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।